



प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
एसOएनO मेडिकल कालेज,
आगरा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 05-10-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व पक्ष में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में असाध्य रोगों से ग्रसित रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-लेखा/2026-27/5323-25, दिनांक 05.08.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व पक्ष में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में असाध्य रोगों से ग्रसित रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य रोगों के निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि ₹0 1500.00 लाख (रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र) निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- 1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
- 2) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
- 3) मेडिकल कालेज के प्राचार्य /वित्त अधिकारी का दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे।
- 4) उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु (नियमावली 2013) यथासंशोधित 2021 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 5) उक्त मद में अगली किशत तभी अवमुक्त की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 6) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व वित्त नियंत्रक/निदेशक, संस्थान का होगा।
- 7) धनराशि को कोषागार से मेडिकल कालेज के वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,00,00,000 (रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050368 आसाध्य रोगों के इलाज हेतु निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मानक मद 20 सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-127/दस-2026-27, दिनांक- 29 सितम्बर, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।

संख्या-88/2026/1/1484315/2026/004-71-2099-263-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
- (4) वित्त अधिकारी, एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा।
- (5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3।
- (6) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०।
- (7) प्रभारी अधिकारी, एन०आई०सी०, छठा तल, योजना भवन।
- (8) नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- (9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।